माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

पूरक परीक्षा वर्ष 2025 हेतु शुल्क जमा कराने संबंधी दिशा–निर्देश

क्रमांक:सैल–8/2025/

दिनांक : 30.06.2025

वर्ष 2025 की पूरक परीक्षा के लिये ऑनलाईन शुल्क जमा कराने की तिथियां निम्नानुसार है :–

परीक्षा शुल्क का प्रकार	शालाओं द्वारा चालान मुद्रण करने की अवधि	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अन्तिम तिथि	शाला द्वारा बैंक रसीद एवं अग्रेषण सूची बोर्ड कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि
1. सामान्य परीक्षा शुल्क	01.07.2025 से 10.07.2025	12.07.2025	20 जुलाई 2025
2.एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	11.07.2025 से 15.07.2025	17.07.2025	
3. असाधारण परीक्षा शुल्क रू. 1500/– शास्ति + नियमित परीक्षार्थी शुल्क रू 600/– कुल 2100/– व स्वयंपाठी परीक्षार्थी शुल्क रू 650/– एक परीक्षा शुल्क सहित कुल रू. 2150/–	परीक्षा प्रारम्भ होने तक (शुल्क केवल पूरक परीक्षा केन्द्र पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा होगा।)		

पूरक परीक्षा 2025 प्रारम्भ होने की तिथि	
पूरक परीक्षा (प्रायोगिक)	31 जुलाई 2025
पूरक परीक्षा (सैद्धान्तिक)	06 अगस्त 2025

परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिये 600/– तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये 650/– निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रू. 100/– प्रति विषय पृथक से देना होगा। विद्यालय एवं परीक्षार्थी मूल अंकतालिकाओं का इन्तजार नहीं करें तथा पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराने की कार्यवाही शीघ्र करें। विशेष योग्यजन (दिव्यांग) तथा युद्व में वीरगति को प्राप्त अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों/ पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिको के आश्रितों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है, किन्तु इन्हे टोकन शुल्क 50/– रू. जमा कराना होगा।

01. सभी विद्यालयों को पूरक परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य है। नियमित परीक्षार्थियों का पूरक परीक्षा शुल्क संबंधित विद्यालय तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का शुल्क उनके मुख्य परीक्षा केन्द्र द्वारा ऑनलाईन जमा कराना होगा। पूरक परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेगें। असाधारण विलम्ब शुल्क रू. 1500/– एवं एक परीक्षा शुल्क सहित कुल शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संबंधित पूरक परीक्षा के केन्द्र पर जमा करवाकर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

02. विद्यालयों द्वारा पूरक परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराने की व्यवस्था :– बोर्ड की वेबसाईट **http://rajeduboard.rajasthan.gov.in** पर **School login** करके पूरक परीक्षा 2025 के लिंक पर क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् शाला का नाम तथा उनके पूरक परीक्षा योग्य समस्त परीक्षार्थियों के नामांक, नाम, पिता का नाम, इत्यादि सूचना प्रदर्शित होगी। शाला द्वारा जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा कराना है इनके नामांक के समक्ष सही का चिन्ह (√) पर क्लिक करें तत्पश्चात् राजस्थान ग्रामीण बैंक अथवा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में से किसी भी एक बैंक का चयन करें तथा शाला द्वारा शुल्क जमा कराये जाने वाले परीक्षार्थियों की सूची व चयनित बैंक का परीक्षा शुल्क का चालान मुद्रित करना होगा। परीक्षार्थियों की मुद्रित सूची व चालान बैंक में प्रस्तुत कर परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराऐ। शेष रहे परीक्षार्थी जो पूरक परीक्षा नहीं देना चाहते अथवा जिनका पूरक परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया है, नामावली **(NOMINAL ROLL)** में उनके नामांक के समक्ष स्वतः ही **NAP (NOT APPLIED)** मुद्रित हो जायेगा ऐसे परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के केन्द्र पर असाधारण विलम्ब शुल्क एवं एक परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करवाकर पूरक परीक्षा में बैठ सकेगें। **OnlineChalan** मुद्रण दिनांक से निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षा शुल्क की राशि बैंक में जमा करायी जा सकेगी। चालान में शुल्क जमा कराने की प्रारम्भिक एवं अन्तिम तिथि मुद्रित होगी, इस अवधि में ही बैंक में शुल्क जमा कराना अनिवार्य है।

03. परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराना :–परीक्षा शुल्क का चालान 4 पर्ण एवं प्रतिपर्ण में मय शुल्क विवरण व अग्रेषण सूची भी दो प्रतियों में मुद्रित की जानी है। चालान व अग्रेषण सूची की एक–एक प्रति एवं परीक्षा शुल्क निर्धारित अवधि में बैंक में नकद जमा कराना है। शुल्क जमा करने के पश्चात् अग्रेषण सूची की एक प्रति तथा चालान फार्म की 3 प्रतियाँ सील लगाकर बैंक द्वारा वापस लौटा दी जायेगी, जिस पर **Transaction No.** भी अंकित किया जायेगा।

04. एक से अधिक बार ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु :– पुनः क्रम संख्या 2 से 3 तक की प्रक्रिया अपनावें।

05. शाला द्वारा बैंक में जमा किये शुल्क के चालान की विद्यालय प्रति एवं अग्रेषण की एक प्रति स्वयं के पास सुरक्षित रखी जाये तथा परीक्षार्थियों की दूसरी सूची एवं शुल्क जमा चालान की दो प्रतियां बोर्ड कार्यालय को स्पीड पोस्ट से अनिवार्यतः भेजें। अधिक जानकारी हेतु बोर्ड के नियत्रंण कक्ष के दूरभाष कमांक 0145–2632866, 2632867, 2632868 पर सम्पर्क करें।

सचिव